न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 34/2020 GCMS No 2020/00073
दायरा तिथि : 04.08.2020
फैसला तिथि : 30.07.2021

प्रार्थीगणः–

1. श्रीमति नेनुदेवी पत्नि कपुरारामजी
2. श्री कन्हैयालाल पुत्र कपुरारामजी जातिगण जांगीड ब्राहमण
   निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. लाली पत्नि कपुराजी जाति मेणा
   निवासी मालनू तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः–

1. श्री ~~सत्येन्द्रसिंह पंवार~~ ओमस्वे .... अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री नरेन्द्र चौहान........................ पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार

–:: आदेश ::– दिनांक – 30.07.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पति/पिता स्व. कपुरा पुत्र हंसाजी के सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम चामुण्डेरी राणावतान के खसरा नंबर 751, रकबा 0.31 हैक्टर व खसरा नंबर 759 रकबा 0.52 हैक्टर कुल रकबा 0.83 हैक्टर किस्म बारानी पर प्रार्थीगण स्व. कपुरा पुत्र हंसाजी जाति जांगीड ब्राहमण (सुथार) के उत्तराधिकार की हैसियत से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त भूमि के किसान निधि सम्मान योजना की राशि प्रार्थीगण को प्राप्त नही होने पर हल्का पटवारी से संपर्क करने जमाबंदी की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 165 भरते समय अन्य भूमि खाता संख्या–56 के खातेदार कपुरा पुत्र समरथा मीणा के स्थान पर खाता संख्या 57 जो कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है,इस भूमि में जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 में इन्द्राज कर दिया, जो त्रुटिपुर्ण वर्तमान अधिकार अभिलेखों में बदस्तुत कायम हैं। कपुरा पुत्र समरथाजी जाति मीणा की भूमि अलग है तथा प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि खसरा नंबर 751 व 759 अलग है। अतः प्रार्थीगण की पुश्तैनी सह खातेदारी भूमि चामुण्डेरी राणावतान् के खसरा नंबर 751 रकबा 0.31 हैक्टर व खसरा नंबर 759 रकबा 0.52 हैक्टर कुल रकबा 0.83 हैक्टर के **1/2 हिस्सा में दर्ज त्रुटिपुर्ण इन्द्राज लाली पत्नि कपुरा** को विलोपित कर दुरस्ती के माध्यम से प्रार्थीगण श्रीमति नेनू पत्नि कपुरारामजी व कन्हैयालाल पुत्र कपुरारामजी जाति जांगी ब्राहमण (सुथार) दर्ज किये जाने की मांग की गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी वर्तमान, जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 की प्रति, नामान्तरकरण संख्या 165 की प्रति पेश की। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई तथा रेकर्ड में दर्ज वर्तमान खातेदार अप्रार्थी संख्या–02 लाली पत्नि कपुरा मीण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, बाली ने रेकर्ड से जांच कर रिपोर्ट पेश की। अपनी जांच रिपोर्ट में जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 ग्राम चामुण्डेरी के खाता संख्या 56 में उक्त नामान्तरकरण का अमल दरामद न होकर खाता संख्या 57 में कपूरा, लच्छा हि. हंसा कौम जांगीड ब्राहमण सा. देह खातेदार के खाते में कपूरा पि. हंसा के स्थान पर नामान्तरकरण संख्या 165 का अमल दरामद गलत होना स्वीकार किया। अपनी जांच रिपोर्ट में पटवारी हल्का, चामुण्डेरी व तहसीलदार, बाली द्वारा वर्णित किया गया कि ग्राम चामुण्डेरी की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता नंबर 63 खसरा लनंबर 1796 व खसरा नंबर 1797 रकबा क्रमशः 1.43 हैक्टर एवं 1.37 हैक्टर किस्म दीगर पीवल में कपूरा पुत्र समरथा हिस्सा 1/3 जाति मेणा सा. मालनू खातेदार आज भी दर्ज है अर्थात् नामान्तरकरण संख्या 165 का वास्तविक मूल खाते में कभी अमल दरामद नहीं हुआ हैं। जांच रिपोर्ट में अंत में ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नंबर 751 व 759 रकबा क्रमशः 0.31 हैक्टर, 0.52 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में लच्छा पुत्र हंसा 1/2 एवं प्रार्थीगण के पुश्तैनी 1/2 हिस्सा में लाली पत्नि कपुरा कौम जांगीड ब्राहमण सा. देह खातेदार दर्ज होना वर्णित करते हुये धारा 136 के तहत दुरस्ती हेतु प्रकरण प्रेषित किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के जवाब व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अवलोकन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम चामुण्डेरी राणावतान् तहसील बाली के खसरा नंबर 751 रकबा 0.31 हैक्टर व खसरा नंबर 759 रकबा 0.52 हैक्टर कुल रकबा 0.83 हैक्टर के **1/2 हिस्सा में दर्ज त्रुटिपुर्ण इन्द्राज लाली पत्नि कपुरा** को विलोपित कर दुरस्ती के माध्यम से प्रार्थीगण श्रीमति नेनू पत्नि कपुरारामजी व कन्हैयालाल पुत्र कपुरारामजी जाति जांगी ब्राहमण (सुथार) **दर्ज** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, चामुण्डेरी को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned with CamScanner